

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 50/2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी-पंजाब नेशनल
बैंक, शाखा-पांसल, भीलवाड़ा

बनाम

1. मैसर्स नाकोडा ट्रेडर्स प्रो०
पारस मल मोगरा पुत्र सोहन
लाल मोगरा पता-90, सुरास,
तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. हरनारायण जखेतिया पुत्र भंवर
लाल जखेतिया निवासी 7-ए-21,
बापू नगर, भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी- श्री विवेक शर्मा।



निर्णय

दिनांक : 29.03.2023

प्राधिकृत अधिकारी-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-पांसल, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को कुल 2,00,000/- रुपये का ऋण दिनांक 19.04.2012 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति - रिहायशी मकान, पट्टा नं. 388, पत्रावली नं. 99, 2000, चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम सुरास, ग्राम पंचायत सुरास, पंचायत समिति माण्डल, जिला भीलवाड़ा में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 4800 वर्गफीट है जो कि श्री पारस मल मोगरा पुत्र सोहन लाल मोगरा के नाम से है जिसकी सीमाएं उत्तर-रास्ता दक्षिण-श्रवण कुमार सेन, पूर्व-शंकर लाल दरोगा,

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14(1A) के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को अधिकृत किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण (ऋणी) द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गयी उपरोक्तानुसार अचल सम्पत्ति (रिहायशी मकान, पट्टा नं. 388, पत्रावली नं. 99, 2000, चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम सुरास, ग्राम पंचायत सुरास, पंचायत समिति माण्डल, जिला भीलवाड़ा में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 4800 वर्गफीट है जो कि श्री पारस मल मोगरा पुत्र सोहन लाल मोगरा के नाम से है जिसकी सीमाएं उत्तर-रास्ता, दक्षिण-श्रवण कुमार सेन, पूर्व-शंकर लाल दरोगा, पश्चिम-सत्यनारायण शर्मा) का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को संभलाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। साथ ही कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने की सुनिश्चितता की जावे। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को विधि अनुसार पालना किये जाने हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति प्राधिकृत अधिकारी बैंक को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(आशीष मोदी)
जिला कलेक्टर एवं